ओलिव रिडले कछुए

चर्चा में क्यों ?

- केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा निर्मित 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री 'गिव मी ए लिटिल लैंड - ए लविंग शोर फॉर द सी टर्टल' लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं को विलुप्त होने से बचाने के प्रयासों को दर्शाती है।
- 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हमारे इको-सिस्टम की जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है।

ओलिव रिडले कछुए के बारे में

- ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं।
- ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग (Olive Colored Carapace) का होता है जिसके आधार पर इनका यह नाम पड़ा है।
- ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, अंडे देने के लिये हज़ारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं।

पर्यावास

- ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं।
- ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।
- चवक्कड़ और मलप्पुरम में ये आमतौर पर पूर्णिमा या अमावस्या की रात के करीब अपने अंडे देने के लिए तट पर आते हैं।
- इससे पूर्व केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा निर्मित उनकी डॉक्यूमेंट्री गिव मी ए लिटिल लैंड - ए लविंग शोर फॉर द सी टर्टल, शुरुआत में 2022 में मलयालम में बनाई गई थी।
- दुनिया ने 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस- 2023 को जैव विविधता का निर्माण करने के विषय के साथ मनाया, 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हमारे इको-सिस्टम की जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है।

- जलवायु परिवर्तन से इन कछुओं को खतरा है क्योंकि कछुए का लिंग वायुमंडलीय तापमान पर निर्भर करता है। गर्म तापमान से मादा पैदा होती हैं और ठंडे तापमान से नर पैदा होते हैं।
- इन कछुओं में एक अनोखा गुण यह है कि हर साल, गर्भवती मादा हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके उन तटों पर घोंसला बनाती है जहाँ उनका जन्म हुआ था। कछुए पूरे मालाबार तट पर और यहाँ तक कि अलप्पुझा के कुछ समुद्र तटों पर घोंसला बनाते थे।

शिकारी रक्षक बन जाते हैं

- "केरल में समुद्र तटों पर अवैध शिकार बड़े पैमाने पर हुआ करता था क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि कछुए के मांस और अंडों में कई बीमारियों के उपचारात्मक गुण होते हैं।
- कई समुद्र तट-किनारे के गाँवों में, निवासी नवंबर से फरवरी-अंत तक घोंसले के मौसम के दौरान अंडे खोदते थे और कछुओं को मारते थे।
- अब ग्रामीण ही कछुओं की रक्षा कर रहे हैं। घोंसले के शिकार से बचाव हेतु ग्रामीण कसारगोड, मलप्पुरम, कोझिकोड, त्रिशूर और अलाप्पुझा जिलों में अपने समुद्र तटों पर कड़ी नजर रखते हैं।
- मलप्पुरम में तेनामुरी समुद्र तट के पास वेलियामकोट ओलिव रिडले कछुओं और उनके घोंसले के क्षेत्रों की रक्षा के लिए एक साथ आए हैं।
- 1998 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री कछुआ संरक्षण बोर्ड परियोजना बनाई और कछुओं के घोंसले के स्थान संरक्षित क्षेत्र घोषित किये।
- अंडों से बच्चे निकलने में करीब 45 से 50 दिन का समय लगता है। आमतौर पर कछुए रात में अंडे देते हैं और ग्रामीण सूर्यास्त के बाद बच्चों को छोड़ने का ध्यान रखते हैं।

सुरक्षा स्थिति:

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची 1

IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य

CITES: परिशिष्ट I

मेगा पोर्ट

चर्चा में क्यों ?

- भारत में मेगा पोर्ट पृथ्वी पर सबसे बड़े कछुओं के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं।
- भारत सरकार ने हाल ही में ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर बंदरगाह के लिए महत्वपूर्ण मंजूरी दी है, जो लेदरबैक कछुओं को उनके घोंसले तक पहुंचने से रोक सकता है।

अंडमान और निकोबार

- भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर एक दूरस्थ द्वीपसमूह में ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है।
- ग्रेट निकोबार द्वीप लगभग 1,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा भारत और थाईलैंड के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित है। यह स्वदेशी शोम्पेन और निकोबारी जनजाति का घर है। यहाँ पौधों और जानवरों की प्रजातियों की समृद्ध विविधता है।
- ग्रेट निकोबार द्वीप का प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़े कछुओं - लेदरबैक कछुओं का विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण घोंसला बनाने वाला स्थान है। लेकिन इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा योजनाओं से खतरा है।
- आज तक, द्वीप बड़े पैमाने पर विकास से अपेक्षाकृत अछूता रहा है। बंदरगाह का प्रस्ताव इसे बदल देगा।

एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय लेदरबैक कछुआ आबादी

- लेदरबैक कछुए दो मीटर तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 700 किलोग्राम तक हो सकता है। डायनासोर की उम्र के बाद से यह प्रजाति अस्तित्व में हैं, लेकिन इसकी संख्या में गिरावट आई है।
- कछुओं की उप-जनसंख्या, जो गलाथिया खाड़ी में घोंसला बनाती है, जहाँ बंदरगाह बनाया जाएगा, को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। द्वीप पर लंबी वार्षिक यात्रा करने से पहले, कछुए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में समशीतोष्ण तटीय जल में भोजन करते हैं।
- प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) के अनुसार, घोंसले के शिकार स्थलों का नुकसान कछुओं के अस्तित्व के प्रमुख खतरों में से एक है।
- अन्य खतरों में मछली पकड़ने की गतिविधियाँ, नावों के साथ टकराव, मानव उपभोग के लिए अंडे का संग्रह और प्लास्टिक कचरे का अंतर्ग्रहण शामिल हैं।
- 2004 की सुनामी से गलाथिया खाड़ी को भी भारी नुकसान हुआ था, जिसने अधिकांश समुद्र तटों को नष्ट कर दिया था जहाँ लेदरबैक कछुओं का घोंसला था।

व्यापक विकास, व्यापक प्रभाव

- ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नियोजित विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल हैं:
- एक मेगा ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, जहाँ बड़ी मात्रा में कार्गो को एक जहाज से दूसरे पोर्ट पर शिपिंग के लिए ले जाया जाएगा।
- एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो प्रति घंटे अधिकतम 4,000 यात्रियों को संभालेगा।
- एक बिजली संयंत्र
- एक नया टाउनशिप।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट - स्वर्ग के लिए योजना

- विशेषज्ञों ने परियोजना के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर चर्चा करते हुए कहा कि बंदरगाह के निर्माण और संचालन से लेदरबैक कछुए को घोंसले के शिकार स्थलों तक पहुंचने में बाधा की संभावना है।
- योजना में ब्रेकवाटर का निर्माण शामिल है - बंदरगाह को लहरों से बचाने के लिए समुद्र में निर्मित अवरोध। बैरियर गैलाथिया खाड़ी के उद्घाटन को 90% तक कम कर देते हैं - 3 किलोमीटर से 300 मीटर तक।
- ड्रेजिंग और निर्माण से द्वीप पर अन्य तटीय आवासों में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन होने की संभावना है, जिनमें मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, रेतीले और चट्टानी समुद्र तट, तटीय वन और ज्वारनदमुख शामिल हैं।
- बंदरगाह मकाक, छछूंदर और कबूतर सहित अन्य दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों के आवास को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

इतनी विनाशकारी परियोजना को कैसे मंजूरी दी गई?

- यह जैव विविधता में सुधार करके बंदरगाह के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति को "ऑफसेट" करने के प्रस्ताव पर टिकी हुई है।
- इसमें ऑफ़सेट में भारत के हरियाणा राज्य में, परियोजना स्थल से हज़ारों किलोमीटर दूर और एक बहुत ही अलग पारिस्थितिक क्षेत्र में पेड़ लगाना शामिल है।
- भारतीय कानून के तहत इसकी अनुमति है। लेकिन यह जैव विविधता ऑफसेटिंग को निर्देशित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत "लाइक फॉर लाइक" सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।
- इस सिद्धांत की आवश्यकता है कि किसी दिए गए प्रोजेक्ट से प्रभावित जैव विविधता को पारिस्थितिक रूप से समतुल्य ऑफसेट के माध्यम से संरक्षित किया जाए, इसलिए जैव विविधता का कोई शुद्ध नुकसान नहीं होता है।
- ग्रेट निकोबार द्वीप योजना जटिल और विविध उष्णकटिबंधीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र तथा कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचाएगी। हजारों किलोमीटर दूर एक उप-उष्णकटिबंधीय अर्ध-शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ लगाकर इसे कथित रूप से "ऑफसेट" किया जाएगा।
- योजना में कछुओं के घोंसलों को हुए नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। यह अकेले "पसंद के लिए पसंद" सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि भारत में अधिकांश प्रतिपूरक वृक्षारोपण में मोनोकल्चर लकड़ी की प्रजातियां शामिल हैं, जो कि देशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता को प्रोत्साहित नहीं करती हैं।

आगे की राह

- बंदरगाह परियोजना को दी गई मंजूरी में कई शर्तें हैं। इनमें कथित तौर पर शामिल हैं:
- ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक आधार सहित समुद्री कछुओं पर केंद्रित एक दीर्घकालिक अनुसंधान इकाई की स्थापना।
- परियोजना के पीछे कंपनी के पास "निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित पर्यावरण नीति" है।

- लेकिन भारत के संरक्षण कार्रवाई ट्रस्ट के अनुसार, महत्वपूर्ण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जाने से पहले अनुमोदन प्रदान किए गए थे।
- गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को प्रभावित करने वाली किसी भी बड़ी विकास परियोजना को कठोर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जैव विविधता ऑफसेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप हो।
- अगर नुकसान की पर्याप्त रूप से भरपाई नहीं की जा सकती है, तो परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

KARMANYEVADHIKARASTE
THE STUDY
MAA PHALESHU KADAACHAN
An Institute for IAS